संपादकीय

कोताही के हादसे

यह बेहद कष्टदायी है कि नये वर्ष की शुरुआत ऐसे हादसों से हुई जिन्हें टाला जा सकता था। हमारा तंत्र उन आशंकाओं से बेखबर रहता है जो कभी भी हकीकत में त्रासदी का सबब बन सकती हैं। अब चाहे यह वैष्णो देवी में भगदड़ में बारह लोगों की जान जाने का मामला हो या भिवानी में डाडम खनन क्षेत्र में पहाड़ी के टूटने से चार लोगों की मौत हो। गाहे-बगाहे हम ऐसी खबरें सालों से सुन रहे हैं कि धार्मिक स्थलों में भगदड़ से लोगों की मौत हो गई। कुंभ से लेकर छोटे मेलों तक मरने वालों की गिनती होती रहती है। विडंबना है कि हम ऐसा तंत्र विकसित नहीं कर पाये कि एक सीमित व संवेदनशील भू-भाग पर स्थित धार्मिक स्थलों पर भीड़ अचानक बढ़ जाने पर अनुशासित व्यवस्था कर सकें। सवाल कोरोना संकट में तीर्थ पर बड़ी भीड़ को जुटने की अनुमति देने का भी है। नागरिक के रूप में भी हम सिर्फ शासन-प्रशासन पर जिम्मेदारी डालकर दायित्व-मुक्त नहीं हो सकते। जैसा कि बताया जा रहा है कि हादसे से पहले कोई विवाद हुआ, जिसने कालांतर भगदड़ का रूप ले लिया। विडंबना है कि हम आस्था के केंद्रों में भी शालीनता, संयम व सहनशीलता का व्यवहार नहीं करते -यह जानते हुए भी कि पहाड़ी इलाके में स्थित तीर्थ स्थल में हम सामान्य ढंग से आवागमन नहीं कर सकते। इस हादसे से सबक लेकर वैष्णो देवी मंदिर प्रबंधन को भविष्य में ऐसे हादसे टालने को गंभीर कदम उठाने होंगे।

वहीं भिवानी में पहाड़ी टूटने से चार लोगों की दबकर मौत होने की घटना विचलित करने वाली है जो प्रकृति के साथ मानवीय निर्ममता से उपजा संकट है। अक्सर खनन का ठेका लेने वाले लोग नियम-कानूनों को ताक पर रखकर खनन को अंजाम देते हैं। पहाड़ों के साथ होने वाले निर्मम व्यवहार का प्रतिफल मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। दु:ख है तो इस बात का कि इन हादसों का शिकार ऐसे लोग होते हैं, जिनका इसमें दोष नहीं होता है। दोष होता है तो गरीबी का कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर खनन कार्य से परिवार का भरण-पोषण करते हैं। निस्संदेह अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ी की खुदाई करने से वह दरकी है। उसके आधार में छेड़छाड़ का ही नतीजा रहा होगा कि वह पहाड़ी की ऊपरी सतह का बोझ न सह पाया और आधार कमजोर होने से बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा। सवाल यह भी है कि जब एनजीटी ने खनन पर लंबे समय तक रोक लगाई थी, उस रोक को हटाने की अनुमति देते समय इस संकट का आकलन क्यों नहीं किया गया? अक्सर खनन के दबंग ठेकेदार निर्धारित सीमा से आगे जाकर अनाप-शनाप खनन करते हैं, जिससे पारिस्थितिकीय संतुलन गड़बड़ा जाता है जो कालांतर हादसे का सबब बनता है। जिम्मेदार अधिकारियों का फर्ज बनता है कि वे जांच करें कि खनन नियम-कानून के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, मगर प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबांट में अधिकारी से लेकर राजनीतिक लोगों की भागीदारी हादसों की जमीन तैयार कर देती है।

फार्मर फर्स्ट: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की झलक

संजय अग्रवाल

हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है, लेकिन भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में इस क्षेत्र का महत्व इस संकेतक से बहुत अधिक है। सबसे पहले, भारत के लगभग तीन-चौथाई परिवार ग्रामीण आय पर निर्भर हैं और देश की खाद्य सुरक्षा, अनाज के उत्पादन के साथ-साथ फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि पर निर्भर करती है, ताकि बढ़ती जनसंख्या, जिनकी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, की मांगों को पूरा किया जा सके। ऐसा करने के लिए, एक उत्पादक, प्रतिस्पर्धी, विविध और दीर्घकालिक कृषि क्षेत्र को तेज गति से उभरने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार एक अधिक समावेशी, उत्पादक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और विविधतापूर्ण कृषि क्षेत्र को मज़बूत आधार देने के लिए नीतिगत कार्य तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है- एक ऐसा विज़न, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने ही लोगों के समक्ष रखा है।

कई अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए और उन्हें कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक निश्चित प्रकार की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता, कृषि छूट देने के विकल्प से कहीं बेहतर है।

देश में किसान परिवारों के लिए ऐसी सकारात्मक व पूरक आय सहायता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2019 को किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का शुभारंभ किया। योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों के साथ कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष का लाभ प्रदान किया जाता है। आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से लाभ की धनराशि सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

इस महत्वपूर्ण योजना के शुरू होने के बाद से, पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं महसूस हुई है। इस योजना ने कई मील के पत्थर पार किए हैं और विश्व बैंक समेत विभिन्न संगठनों ने योजना के व्यापक दृष्टिकोण, बड़े पैमाने और पात्र किसानों के खातों में सीधे धन के निर्बाध हस्तांतरण की प्रक्रिया की प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पीएम-किसान के तहत हस्तांतरित लाभ अधिकांश किसानों तक सीधे पहुंचा और उन्हें बिना नुकसान या कमी के पूरी धनराशि प्राप्त हुई। अध्ययन के अनुसार, इस योजना से उन किसान परिवारों को काफी मदद मिली है, जो कृषि पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर हैं

विभिन्न राज्यो/केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों से त्रुटिरहित, सत्यापित और विधिमान्य डेटा प्राप्त करने के बाद अब तक- 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएमङ्क किसान के तहत लाभ प्रदान किया गया है। पात्र परिवारों को कुल 1,60,982 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। और तो और, कोविड अवधि के दौरान पीएमङ्क किसान योजना के तहत किसानों को 1,07,484 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही, कुल 44,689 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 01 जनवरी 2022 को इसकी दसवीं किस्त जारी किए जाने के साथ यह राशि बढ़कर 65,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने की उम्मीद है।जैसा कि इस किस्म की व्यापक आकार की योजनाओं के साथ हमेशा होता है, पीएम-किसान के कार्यान्वयन ने कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। इस योजना को धन के हस्तांतरण के आकार, उसके तौर-तरीकों और उससे संबंधित तंत्र में निरंतर सुधार करते हुए लागू किया जा रहा है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभों का सुचारू और त्वरित हस्तांतरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर कई प्रक्रियात्मक उपाय और अभियान शुरू किए गए हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के संचालन से संबंधित दिशा-निर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया गया है ताकि देश के किसानों के कल्याण के इस प्रशंसनीय काम में सभी राज्यों का योगदान सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना वास्तव में सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण रही है।इस योजना के तहत किसानों के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को अब सरल बना दिया गया है। पहले जहां एक किसान को इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से

संपर्क करना पड़ता था, वहीं अब पीएम किसान के वेब पोर्टल पर 'किसान कॉर्नर' की एक विशेष सुविधा शुरू की गई है जिसके माध्यम से किसान अब अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसान कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने आधार कार्ड के अनुरूप पीएम-किसान डेटाबेस में अपना नाम संपादित भी कर सकते हैं। किसान कॉर्नर के माध्यम से वे अपने भुगतान की स्थिति के बारे में भी जान सकते हैं। लाभार्थियों का ग्रामवार विवरण भी 'किसान कॉर्नर' पर उपलब्ध है। देश भर के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को भी एक मामूली शुल्क के भुगतान पर इस योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। किसानों के पंजीकरण को और भी अधिक आसान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को ग्राम सभा स्तर पर सामाजिक आकलन (सोशल ऑडिट) करने के लिए भी कहा गया है। वास्तव में, कुछ राज्यों ने अपने सभी ग्राम सभाओं में इस सामाजिक आकलन (सोशल ऑडिट) को पहले ही पूरा कर लिया है। जब किसानों के पंजीकरण और पीएम-किसान के तहत प्राप्त लाभों का उपयोग करने में उनकी मदद करने की बात आती है तो हमारे कृषि संस्थान सबसे आगे रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पीएम-किसान के लाभार्थियों द्वारा आधुनिक तकनीकों को अपनाए जाने में 36 प्रतिशत वृद्धि होने का कारण कृषि विज्ञान केंद्र तक उनकी पहुंच होना है। इसका अर्थ है कि पीएम-किसान योजना से कृषि विज्ञान केंद्रों की उपयोगिता बढ़ी है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में पीएम-किसान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो किसानों को कृषि क्षेत्र में लाभदायक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के अध्ययन के अनुसार, पीएम-किसान के तहत नकद राशि प्राप्त करने वाले किसानों की बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में निवेश करने की अधिक क्षमता थी। इसके अलावा, कोविड लॉकडाउन के दौरान किए गए अध्ययनों के अनुसार, सरकारी हस्तांतरण पैकेज के तहत प्राप्त धन ऋण संबंधी बाधाओं को दूर करने और कृषि में निवेश बढ़ाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण था।कई राज्यों के कुछ लाभार्थियों के साथ सीधे बातचीत के दौरान, किसानों में से एक, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खिर्सू गाँव के एक छोटे किसान यशवंत सिंह ने बताया कि वह अपनी 0.40 हेक्टेयर भूमि में सभी प्रकार की दालें उगाते हैं और वह पीएम-किसान योजना से प्राप्त धनराशि का उपयोग बीज तथा पाइप जैसे अन्य कच्चा माल खरीदने के लिए करते हैं, जो कुशल और उत्पादक खेती के लिए आवश्यक हैं।

बदलते वक्त के साथ तार्किक हो नजरिया

उमेश चतुर्वेदी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा को 18 से बढ़ाकर 21 करने का फैसला क्या लिया, राजनीति शुरू हो गई है। एमआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि अगर 18 साल की उम्र के युवा मतदान कर सकते हैं तो शादी की उम्र 21 साल क्यों होनी चाहिए। विवादित बयानों के लिए विख्यात समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने इससे भी आगे की बात कही है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के बाद वे और ज्यादा आवारगी करेंगी। समाजवादी पार्टी के ही महाराष्ट्र के नेता अबु आजमी तो इस विधेयक को जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश से जोड़ने से भी नहीं रुके। झारखंड के भी एक मंत्री ने इस प्रस्तावित कानून का विरोध किया है। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की कोशिश दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की तैयारी में है।

दरअसल, सरकार ने यह फैसला समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स की सिफारिश पर लिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह टास्क फोर्स जून, 2020 में गठित की थी। इसके सहअध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल थे। दस सदस्यीय इस समिति में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की कुलपति नजमा अख्तर, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई की पूर्व कुलपति वसुधा कामथ और गुजरात की जानी-मानी महिला रोग विशेषज्ञा दीप्ति शाह समेत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालयों के सचिव और कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस टास्क फोर्स को शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात समेत पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित तमाम अन्य मुद्दों पर विचार करना था।

वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस कानून में बदलाव के संकेत पिछले साल के स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में दे दिए थे। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, 'हमने एक कमेटी का गठन किया है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि बेटियां अब कुपोषण की शिकार न हों और उनकी शादी सही समय पर हो। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी, बेटियों की शादी की उम्र के बारे में, उचित फैसले लिए जाएंगे।'

टास्क फोर्स की सिफारिश डॉक्टरों की उस राय पर आधारित है, जिसके मुताबिक पहले बच्चे के जन्म के समय, महिला की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी में देरी से परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज पर सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी असर पड़ते हैं। टास्क फोर्स ने दावा किया है कि उसकी रिपोर्ट कम तथा मध्यम आय वाले पचास से ज्यादा देशों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन शिशुओं की सेहत खराब होने का खतरा कम रहता है, जिस महिला की उम्र पहले बच्चे के जन्म के वक्त 27 से 29 वर्ष होती है। टास्क फोर्स ने माना है कि मां बनने की आदर्श आयु 21 से 35 वर्ष के बीच की होती है। इसके बावजूद इस प्रस्तावित कानूनी बदलाव के बाद एक सवाल मुंहबाए खड़ा रहेगा। दरअसल, सहमति से शारीरिक संबंध की कानूनी उम्र सीमा 18 साल है। जाहिर है कि जब शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल की जाएगी तो सहमति वाला यह प्रावधान भी आड़े आएगा। सवाल यह उठेगा कि क्या बिना शादी के सहमति से बनाये गये संबंध जायज हैं या नहीं। लेकिन टास्क फोर्स ने इस पर आलोचनात्मक नज़रिया अपनाने की बजाय यौन काउंसलिंग और यौन शिक्षा पर फोकस करने पर जोर दिया है।

दरअसल, अभी लड़कियों की शादी की वैधानिक उम्र 18 साल है, जबकि लड़कों की 21 साल निर्धारित है। वैसे 1872 के पहले तक विवाह के लिए अपने देश में कोई कानून नहीं था। इस कारण बाल विवाह भी खूब होते थे। समाज सुधारकों की मांग पर अंग्रेज सरकार ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया। इस कानून के मुताबिक 14 वर्ष से कम उम्र वाली लड़कियों की शादी पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद साल 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 12 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई। बहुचर्चित शारदा अधिनियम 1930 में पारित हुआ। इस अधिनियम ने पहली बार शादी की उम्र को स्वास्थ्य के आधार पर तार्किक बनाने की कोशिश की। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद आजादी के बाद 1954 में विशेष विवाह अधिनियम आया, जिसमें विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई।

तेज इकॉनमी के लिए चाहिए मजबूत मांग

भरत झुनझुनवाला

भारत विश्व की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। हमारी परिस्थिति उस व्यक्ति जैसी है, जो पहाड़ से नीचे गिरने के बाद फिर से पहाड़ पर सबसे तेज चढ़ रहा होता है। ऐसी चढ़ाई को तेज विकास नहीं बल्कि तेज क्षतिपूर्ति कहना चाहिए। ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीमारी से सबसे तेजी से निकल रही है। लेकिन बीमारी से निकलने वाले को दौड़ में अव्वल नहीं कहा जा सकता। तमाम आकलनों के अनुसार, इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है। रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि डिमांड कमजोर है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि घरेलू खपत को बढ़ाना जरूरी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी ने कहा है कि 2019-20 में जीडीपी में 6.2 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन खपत में 7.2 प्रतिशत की। यानी फैक्ट्रियां माल बना कर स्टॉक कर रही हैं। मांग का अभाव है। एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि बाजार में मांग असल में सरकारी प्रशासन और रक्षा के क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है। इनके अनुसार भी जनता की खपत कमजोर है।

आपूर्ति पर ध्यान

इन आकलनों के विपरीत यह भी सही है कि कृषि में उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ने और कृषि उत्पादन की खपत होने में मौलिक अंतर है। कृषि उत्पादन का निर्यात अधिक हो रहा दिखता है। बिजली की खपत में वृद्धि तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण हो सकती है। लोगों ने डीजल जनरेटर चलाना और निजी कार में सफर करना कम कर दिया है। जीएसटी की वसूली बढ़ रही है। लेकिन यह बड़े उद्योगों में उत्पादन बढ़ने के कारण दिखती है। छोटे उद्योगों के उत्पादन में गिरावट और बड़े उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि बराबर होने से कुल उत्पादन बराबर है, लेकिन जीएसटी की वसूली बढ़ रही है। जैसे- हैंडलूम के स्थान पर पॉवरलूम से उत्पादन किया जाए तो बिजली की खपत और जीएसटी दोनों बढ़ जाती हैं। हालांकि उत्पादन और खपत उतनी ही रहती है। घरेलू मांग के अभाव में आर्थिक विकास का गति पकड़ना कठिन ही दिखता है। यह वैसा ही है, जैसे घर की रोटी के अभाव में स्पोर्ट्सवुमन का बढ़ना कठिन होता है।इस परिस्थिति में सरकार की नीति है कि उत्पादन को और सस्ता बनाया जाए। रिजर्व बैंक ने तरल मुद्रा नीति लागू कर रखी है। रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को आसान दर पर पर्याप्त लोन दिया जा रहा है, जिससे कि ब्याज दर कम रहे और वे उद्योगों को लोन दे सकें। सोच यह है कि इससे उद्योगों की उत्पादन लागत कम आएगी, बाजार में माल के दाम गिरेंगे, सस्ते माल के लालच में लोग खरीदारी करेंगे। जैसे कि सेल लगी हो तो लोग दुकानों पर टूट पड़ते हैं। सरकार ने बड़ी कंपनियों पर आयकर में भी कटौती की है और उत्पादन से लिंक करके प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे कंपनियों का उत्पादन बढ़े। जैसे कपड़ा फैक्ट्री को यदि लोन सस्ता मिले, उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि मिले और आयकर कम देना पड़े तो वह कपड़े को 25 रुपये प्रति मीटर के स्थान पर 22 रुपये प्रति मीटर में बेचने को तत्पर हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन : लक्ष्य तो तय हुए, अब कदम आगे बढ़ाना है

चंद्रभूषण

पर्यावरण और स्वास्थ्य के नजरिए से वर्ष 2021 लंबे समय तक याद किया जाएगा। इस साल हमने मानवता का श्रेष्ठ देखा तो सबसे बुरा भी देखा। साल की शुरुआत कोरोना की दूसरी लहर से हुई। हमारे देश का जो स्वास्थ्य ढांचा था, वह चरमरा गया। लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सिजन, मेडिकल सप्लाई की कमी थी। लेकिन साल का अंत होते-होते हमने करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी। 2021 में जहां लाखों लोग मरे, तो करोड़ों लोगों की जान भी बची, क्योंकि हमने रेकॉर्ड टाइम में वैक्सिनेशन किया। 2021 बताता है कि अगर हम साथ मिलकर तकनीक और विज्ञान का प्रयोग करें तो लोगों की जान बचा सकते हैं, विकास कर सकते हैं।

दिल्ली से ग्लासगो

जहां तक पर्यावरण की बात है, तो 2021 में काफी गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी हुई पर साल का अंत होते-होते हमें एक सुनहरी लकीर भी दिखी, जिस पर देश, सरकार और उद्योगपति साथ में काम करके आगे बढ़ सकते हैं। 2021 में जिस तरह का वायु प्रदूषण हुआ, रेकॉर्ड में वैसा नहीं देखा गया है। 2015 से केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने वायु प्रदूषण की ठीक से मॉनिटरिंग शुरू की। साल 2021 में वायु प्रदूषण का लेवल पिछले पांच-छह साल में सबसे अधिक रहा है। रेकॉर्ड दिखाता है कि पिछले चार-पांच सालों में सबसे अधिक पराली हरियाणा और पंजाब में जलाई गई। दिवाली के अगले दिन ही लखनऊ, दिल्ली या गाजियाबाद में वायु प्रदूषण चरम पर पहुंचा। इसी दिसंबर में दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर हो गया था।

ऐसे ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखें। इस साल जो अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आई, इसका भी रेकॉर्ड बना। नैनीताल में दिन भर में 400 मिलीमीटर की बारिश हुई, बाढ़ आई। चेन्नै तो लगातार डूबा ही हुआ है। साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में अतिवृष्टि ने हमारे शहरों को रोक दिया। छोटे समय में इतनी अधिक बारिश देखी नहीं गई है। ये साफ दिखाता है कि अतिवृष्टि अभी बढ़ेगी, जिसमें लोगों की मौत बढ़ेगी, आर्थिक दुष्प्रभाव बढ़ेंगे। वहीं इस साल हमने बढ़ती हीट वेव भी खूब देखी।

बात कचरा प्रबंधन की करें तो 2021 में दिखा कि कोविड में जिस तरह से बायो मेडिकल वेस्ट बढ़ा है, उससे हमारे सॉलिड और बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का ढांचा भी चरमरा गया है। नदियों से जो प्रदूषण कम करना था, उस काम में भी काफी कमी रही। 2021 में यह साफ हो गया है कि हमारी जो गवर्नेंस है, पर्यावरण से संबंधित विभाग हैं, उनमें काफी कमजोरी है। लेकिन 2021 का अंत होते-होते ग्लासगो क्लाइमेट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि भारत 2070 तक कार्बन डाई ऑक्साइड सहित जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गैसों का उत्सर्जन शून्य पर लेकर आएगा। यह बहुत बड़ा कमिटमेंट है, पर्यावरण के क्षेत्र की सुनहरी रेखा है। साथ ही भारत ने अगले दस साल के टारगेट का भी ऐलान किया, जिसके तहत हम पचास फीसदी एनर्जी अक्षय ऊर्जा से लेंगे। यानी जो बाकी के ऊर्जा स्रोत हैं, मसलन कोयला, तेल या गैस- उसका इस्तेमाल कम करेंगे। अक्षय ऊर्जा स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा बढ़ाएंगे।अब सवाल उठता है कि साल 2022 में क्या हो सकता है? एक चीज तो मानकर चलना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन का हमारे देश में प्रभाव बढ़ेगा। इसका हमारी अर्थव्यवस्था, खेती और पानी की सप्लाई पर प्रभाव होगा। हमें अब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निदान के तरीके पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए अब सिर्फ केंद्र सरकार को काम करने की जरूरत नहीं है। केंद्र का तो पूरा निर्देशन रहेगा, फंडिंग भी। लेकिन अब राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर एडॉप्टेशन प्लान लागू करने की जरूरत है। मसलन, अगर अतिवृष्टि होने वाली है तो हमें अच्छे चेतावनी सिस्टम लगाने की जरूरत है ताकि क्षति कम हो। हीट वेव के लिए शहरों में 'हीट कोड' बनाने करने की जरूरत है। मतलब, अगर तापमान बहुत तेजी से बढ़े तो लोगों को बता दिया जाए कि वे घर में ही रहें। आउटडोर वर्क कम करके हॉस्पिटल और पानी मुहैया कराया जाए। हमें लोकल गवर्नेंस लेवल पर 2022 से काम करने की जरूरत है। अब तक हमने उस पर बहुत काम नहीं किया है। अब हमें जिला और ब्लॉक लेवल पर काम करना होगा। 2022 में यह काम पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन 2022 में हम शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जो ग्लासगो में अक्षय ऊर्जा का जो ऐलान किया, उसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे। इस पैसे को लाने के लिए हमें अब उन इंडस्ट्रीज को प्रोमोट करने की जरूरत है, जो हमारे यहां आकर अक्षय ऊर्जा स्रोत लगाएं। यह पहला काम है। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि अक्षय ऊर्जा बढ़ेगी तो कोयला कम होगा। पूर्वी और मध्य भारत में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश इसके बड़े आर्थिक स्रोत हैं। तो कोयला धीरे-धीरे ही कम होगा। मगर उससे इन इलाकों पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हमें काम करना होगा। 2022 में जो ट्रांजिशन होने वाला है, उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है।

एक्शन का 2022

2022 में हमें जलवायु परिवर्तन, एनर्जी ट्रांजिशन, स्थानीय प्रदूषण के गवर्नेंस पर फोकस करना होगा। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सहित पर्यावरण पर काम करने वाली संस्थाओं को भी मजबूत बनाने की जरूरत है। 2022 का अजेंडा गवर्नेंस रिफॉर्म, स्ट्रेंथनिंग एक्शन का अजेंडा होना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव अपने आप तो कम होने वाले नहीं हैं। यह सब जमीनी स्तर पर होना चाहिए, चाहे वह प्लास्टिक कम करने की बात हो, या कचरा प्रबंधन की। क्योंकि 2021 में हमने देखा है कि बुरा क्या हो सकता है और अच्छा क्या हो सकता है। मेरी यह कामना है कि 2022 में हम अच्छाई पर काम करें, और देश को आगे बढ़ाएं।

आज का राशिफल

मेष : दिन के प्रारंभ में आप मानसिक दुविधाओं में खोए रहेंगे। अन्य लोगों के साथ आप जिद्दी व्यवहार छोड़ देंगे और समाधानकारी व्यवहार अपनाएंगे। **वृष :** आपका आज का दिन मध्यमफलदायी रहेगा, दिवस के प्रारंभ में आपको शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। आपकी सर्जनात्मक तथा कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो सकती है। **मिथुन :** आपका आज का दिन मिश्र फलदायी रहेगा, । आज आप चिंता से घिरे रहेंगे और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में भी मतभेद रहेगा, परंतु मध्याह्न के बाद आप सभी कार्यों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे **।कर्क :** आपका दिन प्रात:काल में पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में लाभदायी है। स्त्रीवर्ग से लाभ होने के भी योग हैं। किसी प्रिय से भेंट होगी। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु मध्याह्न के बाद आपके मन में विविध प्रकार की चिंताएं उठेंगी, जो कि पारिवारिक वातावरण को बिगाड़ सकती हैं **।सिंह :** आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा, व्यवसाय और व्यापार करनेवालों के लिए आज का दिन लाभदायी है। व्यापार में वृद्धि होगी। परिवारजनों तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्वक पलों को मनाएंगे। **कन्या :** नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल है। आज आपके भीतर कुछ अधिक धार्मिकता रहेगी। कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए अवसर उपस्थित होने की संभावना है। मध्याह्न के बाद नए कार्य का आयोजन कर सकेंगे। अपूर्ण कार्य पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। मान-सम्मान मिलेगा। **तुला :** खान-पान में आज विशेष ध्यान रखने के लिए गणेशजी सूचन करते हैं। दिन के दौरान नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अधिक कार्य से शिथिलता और मानसिक व्यग्रता का अनुभव आप करेंगे। प्रवास लाभदायी नहीं है, परंतु मध्याह्न के बाद आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। **वृश्चिक :** आप आज दांपत्यजीवन को विशेष रूप से मना सकेंगे और उसके सुख का भी अनुभव कर सकेंगे। परिवारजनों के साथ सामाजिक समारोह में शामिल होंगे। छोटे से प्रवास का भी योग है। मध्याह्न के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है। मानसिक रूप से कुछ व्यग्रता का भी अनुभव करेंगे। मध्याह्न के बाद नए कार्य का प्रारंभ न करिएगा। **धनु :** आज का दिन शुभफलदायी होगा, । शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। आर्थिक आयोजन भी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। कार्यालय में सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा। परिवारजन और मित्रों की घनिष्ठता में वृद्धि होगी। दांपत्यजीवन आनंददायी रहेगा।**मकर :** वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुरवाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकेंगे, वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आएगी। आर्थिक आयोजन भी आज आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। आज का पूरा दिन आनंद के साथ बीतेगा। नौकरी में सहकार्यकरों का सहकार मिलेगा। मध्याह्न के बाद रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा और अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। **कुंभ :** आज आप अपने सभी कार्य को आत्मविश्वासपूर्वक ठीक तरह से संपन्न कर सकेंगे, । आर्थिक व्यवहार में भी आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। फिर भी वाहन, मकान आदि के पत्रों से संबंधित कार्यवाही में सावधानीपूर्वक आगे बढ़िएगा। आपकी वैचारिक समृद्धि में वृद्धि होगी। मन में प्रफुल्लितता रहेगी। अधिक परिश्रम करने पर भ